कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या 30625(1-75) /टास्क फोर्स–2/ई–लॉटरी/2024–25 दिनांक:मार्च 12 ,2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषयः—आबकारी वर्ष 2025—26 हेतु आबकारी दुकानों की द्वितीय चरण की ई—लॉटरी के संशोधित कार्यकम के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया इस कार्यालय से निर्गत अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–7617/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2025–2026, प्रयागराज दिनाँक 06.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आबकारी दुकानों यथा–देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की दुकानों तथा मॉडल शॉप्स का ई–लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने हेतु समय–सारिणी प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त समय–सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में ई–लॉटरी के द्वितीय चरण की प्रक्रिया दिनांक 13.03.2025 से प्रारंभ होकर ई–लॉटरी का द्वितीय चरण दिनांक 25.03.2025 को सम्पन्न होना था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित रिट याचिका–रिट–सी संख्या–2253/2025 के कारण ई–लॉटरी के प्रथम चरण के अनंतिम आवंटियों को आवंटनादेश दिनांक 06.03.2025 को निर्गत न होकर दिनांक 07.03.2025 को निर्गत किये गये, जिसके कारण अनंतिम आवंटियों द्वारा बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस जमा करने की अवधि दिनांक 12.03.2025 तक विस्तारित करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि ई–लॉटरी पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर यह शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं कि राजकोष पोर्टल पर तकनीकी समस्यायें आने के कारण बहुत से अनंतिम आवंटी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही होली का त्यौहार होने के कारण बैंक एवं सरकारी कार्यालय दिनांक 13.03.2025 एवं 14.03.2025 को बन्द हैं। अतः ऐसे अनंतिम आवंटी जिनकी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस दिनांक 12.03.2025 तक राजकोष पोर्टल पर तकनीकी कारणों से जमा नहीं हो पायी है, उनको राजस्वहित में दिनांक 15.03.2025 को सायं 05:00 बजे तक सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अपनी बेसिक लाइसेंस/लाइसेंस फीस के ड्राफ्ट को जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के दृष्टिगत ई–लॉटरी के द्वितीय चरण की संशोधित समय–सारिणी निम्नवत् प्रस्तावित है:–

क. सं.	द्वितीय चरण	दिनांक
1	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु दुकानों को मार्क करने की अन्तिम तिथि व समय	15.03.2025 को सांय 6.00 बजे तक
2	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रासेसिंग फीस का भुगतान आरंभ करने की तिथि व समय	17.03.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
3	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	23.03.2025 को सांय 5.00 बजे तक
4	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण करके आवेदन पत्रों को ई–लॉटरी हेतु मार्क करके डाटा लॉक करने की अन्तिम तिथि व समय	25.03.2025 को सायं 5:00 तक
5	द्वितीय चरण की ई–लाटरी की तिथि व समय एवं स्थल	27.03.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
6	द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	02.04.2025 को सांय 6:00 बजे तक

नोटः—1— राजस्वहित में यदि किसी दुकान पर ई—लॉटरी के प्रथम चरण में कोई आवेदन—पत्र प्राप्त हुआ था, तब वह दुकान ई—लॉटरी के द्वितीय चरण में, ई—लॉटरी के प्रथम चरण हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेस फीस पर ही सम्मिलित की जायेगी।

2—यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

3—मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई—लाटरी विभागीय पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर संपन्न करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त समय—सारिणी से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराते हुये स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई—लॉटरी के द्वितीय चरण की प्रक्रिया का निष्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पत्र संख्याः 30306—30381/टास्क फोर्स—2/ई—लॉटरी/2024—25 दिनांक 28.02.2025 के अनुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /टास्क फोर्स—2/ई—लॉटरी/2024—25/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त एस.एस.पी./एस.पी. जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6. श्री शैलेष कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आई0टी0) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी., मुख्यालय, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रेस नोट जारी करवायें तथा विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी मैसेज प्रेषित करवायें।
8. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. श्री संजय यादव—2, सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ई—लॉटरी पोर्टल एवं IESCMS पोर्टल पर सूचना अपलोड करायें।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

(डा. आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।